


कमल सिंह वगै० बनाम प्रताप सिंह वगै०
मु०नं० 12/2019
दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक -08.04.2025 को वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा ग्राम लिखवा तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू की सरहद में स्थित भूमि के ख.नं. 105 रकबा 4.19 है०, मे पक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15.02.2023 में अंकितानुसार अलग-अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।


(सुमन देवी मा आर.ए.एस.)
उपपरिषद अधिकारी सूरजगढ़
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या:-12/2019
कमल सिंह वगै० बनाम प्रताप सिंह वगै०
निर्णय दिनांक:- 08.04.2025

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्डुनू
पीठासीन अधिकारी:- श्रीमती सुमन देवी ॥ (आर.ए.एस.)

मु०नं० 12/2019
निर्णय दिनांक:- 08.04.2025

कमल सिंह वगै० बनाम प्रताप सिंह वगै०
दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 08.04.2025 को श्रीमती सुमन देवी ॥ उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि-

“अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है कि वाके विवादित भूमि मौजा ग्राम लिखवा तहसील पिलानी जिला झुन्डुनू की सरहद में स्थित भूमि के ख.नं. 105 रकबा 4.19 है० कुल किता 01 कुल रकबा 4.19 है० वाके मौजा लिखवा तहसील पिलानी जिला झुन्डुनू में स्थित भूमि का तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद करे, रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे।”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 08.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

(श्रीमती सुमन देवी ॥ आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ